की कुर्की तथा घोषणा दिनांक 22/8/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

22-8-22

अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक संघ ने कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23-9-22 को पेश हो।

23/9/22 अधिवक्ता वादी उपस्थित। दिनांक 3.9.22 को वादी पत्रावली पर अधिवक्ता वादी की कुर्की तथा कब्जा के निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी अज्ञ तक तथा अभिवादीगण नहीं मिलने की स्थिति में वादी का वाद 09 R5 CPC के अन्तर्गत वादी का वाद 09R3 CPC के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली निस्तारण होने पर दर्ज रजिस्टर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.12.14 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner